06/12/19- पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई बावजूद आवाजें दिलाने के विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी के बहस सुनी पत्रावली व पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालना हेतु तहरीर जावे हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद सीरवी आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 42/2019

प्रार्थी

1. सोहनपाल पुत्र बुधराम
जाति मेघवाल निवासी बाघौर तहसील तिजारा जिला अलवर हॉल कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. अणसीदेवी पत्नी रताराम
3. जुगताराम पुत्र मिश्राराम
4. जबराराम पुत्र रताराम
5. तगाराम पुत्र मिश्राराम
6. दिनेशकुमार पुत्र रताराम
7. बाबूलाल पुत्र मिश्राराम
8. भलाराम पुत्र रताराम
9. मेरो पत्नी मिश्राराम
10. रमेशकुमार पुत्र रताराम
11. सकाराम पुत्र रताराम
जाति सरगरा निवासी सरीयादेवीनगर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 06/12/19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सरहद मौजा सरियादेवीनगर पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 637/78 रकबा 3.8688 किस्म धोरा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सरियादेवीनगर पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 637/78 रकबा 3.8688 किस्म धोरा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06-12-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद सीरवी)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2020.03.19 17:29:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: